

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

पत्रांक-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016- 792

प्रेषक,

संगीता शरण,
उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 30-04-2024

विषय : विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाषय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र/छात्राओं के आवेदन की तिथि एवं आवेदन के सत्यापन से संबंधित विस्तारित विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक: 792

प्रतिलिपि : Centre for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 30-4-2024

ज्ञापांक: 792

प्रतिलिपि: सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 30-4-2024

ज्ञापांक: 792

प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

राँची, दिनांक : 30-4-2024

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना


सूचना

PR No.-321735

निदेशानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र-2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से तिथि विस्तारित की जाती है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	25.05.2024
2.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की पूर्व से निर्धारित तिथि अंतिम तिथि।	31.05.2024

अन्य दिशा-निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website- ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

 30.4.24

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।